

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) म प्रकाशनाथ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

शुद्धिपत्र

अधिसूचना सं. 53/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 09 अक्टूबर 2019

का.आ. (अ). भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) का धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतगत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) म प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि. 916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) म प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण म महानिदेशक राजस्व आसूचना एतद्वारा अधिसूचना सं. 50/2019-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/एक्सटेंशन/राआनि) दिनांक 26.09.2019, का.आ.3508(अ) दिनांक 27.09.2019 द्वारा प्रकाशित।

स्पष्टीकरण के उद्देश्य से शब्दा "कारण बताओ नोटिस के निगमन का ताराख, जैसा कि तालिका के स्तंभ (3) मे उल्लेखित है" को "जैसा कि नीचे तालिका के स्तंभ (3) मे उल्लेखित है, यथा प्रत्येक कारण बताओ नोटिस मे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 का धारा 28(9)(b) के अंतगत परिकल्पित है एक वर्ष का समयार्वाध का समाप्ति का तिथि से" पढ़ा जाए

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-33/2019-CI]

(सुचेता श्रीजेश)

अपर निदेशक

प्रतिरूप सूचना एवं रिकॉर्ड के अद्यतन हेतु प्रेषित

1. अपर महानिदेशक (न्याय निणयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली को इस निवेदन के साथ कि वे कारण बताओ नोटिस के नोटिसर्या को महानिदेशक राजस्व आसूचना द्वारा समयार्वाध बढ़ाए जाने के बारे मे सूचित कर।